पीपुल्स समाचार
2 0 NOV 2020

मासूम से रेप और हत्या के आरोपी को मौत की सजा

छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा का मामला

पीपुल्स ब्यूरो • छिंदवाड़ा
editor@peoplessamachar.co.in

जिले के अमरवाड़ा के विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) ने मासूम से दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी रितेश उर्फ रोशन धुर्वे (22) को मौत की सजा सुनाई है। मामले में एक अन्य आरोपी धनपाल उईके को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि अमरवाड़ा में इस साल 17 जुलाई को मासूम गुम हो गई थी। मामले में एसपी विवेक अग्रवाल ने एसआईटी का गठन किया। पुलिस ने संदेह के आधार पर रितेश से पूछताछ की गई तो उसने बच्ची से रेप और हत्या की बात स्वीकार कर ली।

खेल रही मासूम को 10 का नोट दिखाकर बुलाया था

पुलिस पूछताछ में आरोपी रितेश ने बताया कि घटना के दिन वह घर के सामने खेल रही बच्ची को 10 रुपए का नोट दिखाकर अपने पास बुलाया और बकरी बांधने के कोठे में ले जाकर उसके साथ रेप किया। उसने बच्ची के मुंह पर कपड़ा बांध दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह अपने दोस्त धनपाल के साथ मिलकर बच्ची के शव को बोरी में भरकर बाइक से छोटा तालाब के पास ले गया। वहां माई के चबूतरा के पास माचागोरा डेम में दोनों ने शव को फेंक दिया। आरोपी की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद किया गया था।